



जे.पी.आर.5-836

CIN: U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005

फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803

ईमेल - se\_comml@yahoo.in

क्र0जेपीडी/अअ/वा./अधिअभि (वा-1)/फा. 1(13)/पार्टVII/प्रे0 2474 दिनांक - 02.02.2017

आदेश

विषय - बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर के सम्बन्ध में।


आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 सितम्बर, 2016 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अंको का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी समाविष्ट करावें।

उक्त अधिसूचना की अनुपालना में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों से आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अकों का बिजनिस रजिस्ट्रेशन नम्बर समाविष्ट कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से

( के.के. पुरोहित )

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राज-पत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	भाद्र 30, बुधवार, शाके 1938-सितम्बर 21, 2016 <i>Bhadra 30, Wednesday, Saka 1938-September 21, 2016</i>	

भाग 1 (ख)  
 महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।  
 आयोजना विभाग  
 अधिसूचना  
 जयपुर, सितम्बर 20, 2016

संख्या एफ. 23(5)1/टीएफसी/डीईएस/बी.आर./57207 :-राज्य के सभी प्रतिष्ठान/व्यवसाय, जो पहले से स्थापित हैं या जो उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा मुख्य आर्थिक गतिविधि कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 (समस्त आर्थिक गतिविधियाँ) के द्वारा निर्धारित करके उद्यमों का एक विशिष्ट ढाँचा विकसित किया जाना है जो कि बिजनेस रजिस्टर के नाम से जाना जायेगा, यह सभी उप-क्षेत्रों यथा व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, संचार भू-राजस्व, कानूनी व व्यापारिक सेवायें, उद्योग, फैक्ट्री एवं अन्य वे सभी क्रियाकलाप जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में संलिप्त हैं तथा राज्य आय में योगदान देते हैं, के लिए होगा। जिला बिजनेस रजिस्टर जिला स्तरीय सांख्यिकीय सूचनाओं के सृजन और समय-समय पर करवायें जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए व्यवस्थित ढाँचे के रूप में एक उपयोगी साधन होगा।

इसलिए, राज्य सरकार द्वारा बिजनेस रजिस्टर को विकसित करने के लिए सभी जिलों के उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों में बिजनेस रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित करना आवश्यक समझा गया है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बिजनेस रजिस्टर के कार्य के लिए निम्नानुसार व्यवस्था करती है :-

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार
संयुक्त निदेशक (एन.एस.एस.) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार
समस्त जिला कलेक्टर	पदेन जिला बिजनेस रजिस्ट्रार
समस्त जिला उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त जिला बिजनेस रजिस्ट्रार

राज्य स्तर पर पदेन राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार तथा जिला स्तर पर पदेन अतिरिक्त जिला बिजनेस रजिस्ट्रार द्वारा बिजनेस रजिस्टर से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण किया जावेगा।

सभी प्रतिष्ठानों/व्यवसायों के उद्यमी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निकटतम जिला कार्यालय में स्वयं या ऑनलाईन <http://br.raj.nic.in> बिजनेस रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र में विधिक नाम, व्यवसायिक संस्था का प्रकार, मुख्य व्यवसाय का पता साक्ष्य सहित इत्यादि भरकर निःशुल्क 16 अंकों को बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करके उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत संस्थान भी निर्धारित प्रक्रिया से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

अतः अब राज्य सरकार इस अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों और अन्य संस्थाओं जिसमें विद्युत/जल आपूर्ति, जल प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/नगरपालिकायें आदि सम्मिलित हैं, को निर्देशित करती है कि वे सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्यों के लिये निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अंकों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी समाविष्ट करावें।

यह अधिसूचना भारतीय कम्पनी एक्ट-1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1/1956), फैक्ट्री एक्ट-1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63/1948), शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-1958, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1958, कॉर्पोरेटिव सोसायटी एक्ट-2001, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006) आदि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले प्रतिष्ठानों/व्यवसायों पर भी प्रभावी रहेगी।

यह अधिसूचना तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगी।

राज्यपाल के आदेश से,  
 अखिल अरोरा,  
 शासन सचिव, आयोजना।